रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 10 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 19, 1944 शक संवत्) [संख्या 50

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	959–978	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	997–1022	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	629–632	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	593–613	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

संस्कृति विभाग

नियुक्ति

05 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 524/चार-2022–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र सं0-39(5)/05/डी0आर0एस-3/2017-18 दिनांक 07 मार्च, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री राजेश अहिरवार को संस्कृति निदेशालय में सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला) के पद पर अस्थयी रूप से नियुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री राजेश अहिरवार	सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय

2–उपरोक्तानुसासयर अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः–

1–चयनित अभ्यर्थी उ0प्र0 संस्कृति विभाग राजपत्रित अधिकारी समूह 'ख' सेवा नियमावली-2003 के प्रस्तर 18 (1) में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–अभ्यर्थी का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन किया जायेगा। उक्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त करी दी जायेगी।

4–अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका दावा मान्य नहीं होगा।

5–अभ्यर्थी की सेवा शर्ते शासन के प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों की अधीन होगी।

6–अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

7–यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी सेवा में है, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3–अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की इच्छुक होने की दशा में संलग्न शपथ पत्र (10 रु0 के गैर न्यायिक नान-जुडिसियल स्टांप पेपर) पर भरकर इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संस्कृति विभाग के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

सं0 562/चार-2022–उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ के अंतर्गत सहायक पुरातत्व अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र सं0-49(5)/07/डी0आर0/एस-3/2017-18 दिनांक 07 मार्च, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार यादव को सहायक पुरातत्व अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम सं0	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
1	श्री मनोज कुमार यादव	सहायक पुरातत्व अधिकारी	उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ

2–उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

1–चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 समूह 'ख' सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अवधि 02 वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जयेगा।

2–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–अभ्यर्थी का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन किया जायेगा। उक्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त करी दी जायेगी।

4–अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका दावा मान्य नहीं होगा।

5–अभ्यर्थी की सेवा शर्ते शासन के प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों की अधीन होगी।

6–अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

7–यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी सेवा में है, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3–अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नियुक्त की इच्छुक होने की दशा में संलग्न शपथ-पत्र (10 रु0 के गैर न्यायिक नान-जुडिसियल स्टांप पेपर) पर भरकर इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संस्कृति विभाग के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

युवा कल्याण विभाग

नियुक्ति/तैनाती

26 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 759/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	262087
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	नितीश कुमार राय
3	पिता/पति का नाम	उपेन्द्र नाथ राय
4	जन्मतिथि	27 अगस्त, 1994
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	मं0न0-23 ग्राम-चन्दनी, पोस्ट-कुण्डेसर, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	देवरिया

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 760/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8

रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रादान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	375675
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	वैभव सिंह
3	पिता/पति का नाम	मोहन सिंह
4	जन्मतिथि	13 अप्रैल, 1993
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	एच0आई0जी0-III-15 सिद्धार्थपुरम पोस्ट-सिद्धार्थ एन्कलेव, तारामण्डल जनपद गोरखपुर (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	जौनपुर

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीद्वार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रा के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 761/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	395575
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	वैश्विक डबास
3	पिता/पति का नाम	सुरेश कुमार डबास
4	जन्मतिथि	03 मार्च, 1993
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	200, नागिन लेक अपार्टमेन्ट्स, पश्चिम विहार, पश्चिमी दिल्ली–(दिल्ली)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	मैनपुरी

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रा के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 762/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	003626
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	मयंक कुंडू
3	पिता/पति का नाम	आर0 एस0 कुंडू
4	जन्मतिथि	06 नवम्बर, 1993
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	म0नं0-44 न्यायपुरी, माल रोड, करनाल (हरियाणा)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	सहारनपुर

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करते है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रा के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 763/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	409089
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	राहुल सिद्धार्थ
3	पिता/पति का नाम	बृजेश नारायण जाटव
4	जन्मतिथि	18 अक्टूबर, 1992
5	चयन श्रेणी	अनुसूचित जाति
6	गृह जनपद/स्थायी पता	11/21, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, झांसी (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	हमीरपुर

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रा के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 764/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	362592
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	सौरभ कुमार सिंह
3	पिता/पति का नाम	लाला राम वर्मा
4	जन्मतिथि	06 जुलाई, 1990
5	चयन श्रेणी	अनुसूचित जाति
6	गृह जनपद/स्थायी पता	170 फेज-1, सरस्वती बिहार रोहटा रोड, मेरठ (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	बिजनौर

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रा के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7—अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8—प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 765/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः—

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	029382
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	देवेन्द्र कुमार
3	पिता/पति का नाम	सुरेश चन्द्रा
4	जन्मतिथि	14 दिसम्बर, 1998
5	चयन श्रेणी	अनुसूचित जाति
6	गृह जनपद/स्थायी पता	ए 15, बर्रा, कानपुर नगर (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	फर्रूखाबाद

1—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 766/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	381122
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	द्विज गोयल
3	पिता/पति का नाम	मुनेश कुमार गोयल
4	जन्मतिथि	01 जून, 1997
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	158, वार्ड नं0-10, खरखौदा, मेरठ, (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	एटा

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त की दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देया नहीं होगा।

सं0 767/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः–

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	007586
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	मयंक पटेल
3	पिता/पति का नाम	रवीश चन्द्रा
4	जन्मतिथि	18 जुलाई, 1995
5	चयन श्रेणी	अन्य पिछड़ी जाति
6	गृह जनपद/स्थायी पता	ग्राम–कैथा, पोस्ट–अरइ जलालपुर, जिला–अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	कौशाम्बी

1—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5—विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6—आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7—अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8—प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 768/पचास-यु0क0-2022-52(विविध)/2013—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100) उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन क्रमांक-7 पर अंकित जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता हैः—

1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयेाग का अनुक्रमांक	513750
2	चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	रीत सुन्दरम
3	पिता/पति का नाम	मणिकान्त झा
4	जन्मतिथि	05 दिसम्बर, 1991
5	चयन श्रेणी	सामान्य
6	गृह जनपद/स्थायी पता	म0नं0-31/जे, बैंक कालोनी, मोराबादी, रांची (झारखण्ड)
7	जनपद का नाम जहाँ तैनात किया गया	चित्रकूट

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होगें।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगें।

यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किन्हीं युक्तियुक्त एवं वैध कारणों से निर्धारित समय के भीतर योगदान नहीं कर पाता है तथा उक्त अवधि के भीतर ही नियुक्ति प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को लिखित सूचना देकर योगदान करने की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी 30 दिन का अतिक्ति समय प्रदान करने हेतु अधिकृत है। यदि 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुनः निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः तदुपरान्त नियमानुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई पात्रता सूची तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5–विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में यह नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने पर यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कि जायेगी।

6–आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे में उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7–अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की नियुक्ति जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण-पत्र का दावा झूठा पया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जयेगी।

8–प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
डिम्पल वर्मा,
अपर मुख्य सचिव/नियुक्ति प्राधिकारी।

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग

अनुभाग-1
दिनांक, 06 दिसम्बर, 2022 ई0
अधिसूचना

सं0 1085/60-1-2022-1/13 (02)/21–चूँकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियायें सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं ;

और, चूँकि, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''विभाग'' कहा गया है) नीचे सारिणी में उल्लिखित योजनाओं को प्रकाशित कर रहा हैः–

अनुसूची

क्रम संख्या	योजनाओं के नाम
1	उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
2	उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

(जिन्हें आगे ''योजनायें '' कहा गया है) जो महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण'' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूँकि, उक्त योजनाओं के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार समस्त श्रेणी के ऐसे बच्चों (जिन्हें आगे ''लाभार्थी'' कहा गया है) जिनके माता-पिता दोनो अथवा माता या पिता की मृत्यु कोविड महामारी के दौरान हो गयी हो, को वित्तीय सहायता (जिन्हें आगे ''प्रसुविधाएं'' कहा गया है) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित हैं;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेंगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार

नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण] (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग ऐसे लाभार्थियों के लिए सुविधायें प्रदान करता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात् :–

(क) यदि उसने नामांकन किया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज; अर्थात् :–

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड ; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेन्स; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय-पत्र शीर्षक पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–पूर्वोक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थायें करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई0आर0आई0एस0) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जायेंगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन

के साथ ही साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई0आर0आई0एस0) स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा ;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई0आर0 आई0एस0) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहाँ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैद्यता के साथ, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वनटाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार-पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार-पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पान्स कोड (क्यू0आर0कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पान्स कोड (क्यू0आर0कोड) रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4—उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-डी-26011/04/2017-डी0बी0टी0 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5—यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
अनामिका सिंह,
सचिव।

Mahila Kalyan Evam Bal Vikas Vibhag

Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1085 /XXVI-3-2020-1, Dated December 06, 2022 :

NOTIFICATION

Lucknow, December 06, 2022

No. 1085/60-1-2022-1-13(02)/21–WHEREAS the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need for producing multiple documents to prove one's identity:

AND WHEREAS the Women Welfare and Child Development Department, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the Department") is administering the Schemes (hereinafter referred to as the "Schemes") mentioned in the Schedule below:-

Schedule

SI. No.	Name of the Schemes
1	Uttar Pradesh Mukhymantri Bal Sewa Yojna
2	Uttar Pradesh Mukhymantri Bal Sewa Yojna (Samanya)

Which is being implemented through the Women Welfare and Child Development Department, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

AND WHEREAS under the Schemes assistance is given in the form of financial assistances (hereinafter referred to as the "benefit") to the children of all categories, whose both or either of the parents died during the period of Covid pandemic. (hereinafter referred to as the "beneficiaries") by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND WHEREAS the aforesaid Schemes involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1–(1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number to undergo Aadhaar authentication .

(2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar the department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with existing Registrars of UIDAI/or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to production of the following documents, namely:-

(a) If he has enrolled , his Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) Any one to the following documents, namely:-

I. Bank or Post Office Passbook with photo; or

II. Permanent Account Number (PAN) card; or

III. Passport; or

IV. Ration Card; or

V. Voter Identity Card; or

VI. MGNREGA Card; or

VII. Kisan Photo Passbook; or

VIII. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or

IX. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tahsildar on an official letter head; or

X. Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for the purpose.

2–In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the aforesaid requirements.

3–In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System (IRIS) scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System (IRIS) scan or face authentications is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter authenticity of which can be verified through the Quick Response Code (Q R Code) printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code (Q R Code) reader shall be provided at the convenient location by the Department through its implementing Agency.

4–In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.

5–This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order,
Anamika Singh,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 19, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE SECTION]

NOTIFICATION

September 30, 2022

No. 701/IVg-27/Admin.(A-3) Allahabad–In excercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam, Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) as amended by Section 2 of the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act No. 14 of 2015), the High Court is pleased to direct that from the date of its publication in the Official Gazette, the jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division) named below shall extend to all the original suits cognizable by Civil Courts of such value **not exceeding five lakh rupees :**

List of 38 Officers

Sl. No.	Name of Officer	Present place of posting	Date of joining
1	2	3	4
	Sri/Smt./Ms.–		
1	Monika Pal	Allahabad	13.12.2019
2	Aniruddh Singh	Gram Nyayalaya, Meja, Allahabad	17.01.2020
3	Shashi Kiran	Ballia	17.01.2020
4	Shweta Tripathi	Basti	18.02.2020
5	Preeti-I	Deoria	13.12.2019

1	2	3	4
	Sri/Smt./Ms.–		
6	Aruna Singh	Kannauj	17.01.2020
7	Nishant	Mathura	14.11.2019
8	Geetika Garg	Saharanpur	18.02.2020
9	Nitin Kumar Rathi	Iglas (Aligarh)	25.02.2020
10	Siddhant Yadav	Aligarh	17.01.2020
11	Ashok Kumar-XIV	Ambedkar Nagar	13.12.2019
12	Ankit Sinha	Azamgarh	13.12.2019
13	Priyambada Lal	Baghpat	18.02.2020
14	Akash Gupta	Bahraich	17.01.2020
15	Ashok Kumar Kasaudhan	Gram Nyayalaya, Ramnagar, Barabanki	18.02.2020
16	Naseem Ahmad	Barabanki	18.02.2020
17	Prikshit	Gram Nyayalaya, Siyana, Bulandshahar	13.12.2019
18	Neha Chaudhary-I	Hapur	13.12.2019
19	Raj Deep Singh	Gram Nyayalaya, Bikapur, Faizabad	18.02.2020
20	Gargi	Farrukhabad	18.02.2020
21	Kunver Jeetendra Pratap Singh	Farrukhabad	17.01.2020
22	Ritu Loha	Ghaziabad	18.02.2020
23	Mitali Sonkar	Ghazipur	17.01.2020
24	Deepika	Ghazipur	13.12.2019
25	Ashwani Kumar-II	Gorakhpur	13.12.2019
26	Sangeeta Gaur	Gorakhpur	18.02.2020
27	Harshita	Hamirpur	18.02.2020
28	Negi Chaudhary	Hathras	13.12.2019
29	Ragini Mishra	Kalpi (Jalaun at Orai)	17.01.2020
30	Tushar Jaiswal	Konch (Jalaun at Orai)	18.02.2020
31	Pratibha-II	Ghaziabad	18.02.2020
32	Sourabh Mandloi	Mahroni (Lalitpur)	13.12.2019
33	Asif Nawaz Khan	Sardhana (Meerut)	13.12.2019
34	Javed	Bansi (Siddharthnagar)	14.11.2019
35	Mrinalini Srivastava	Sitapur	17.01.2020
36	Vipin Kumar Chaurasiya	Bansgaon (Gorakhpur)	13.12.2019
37	Ranjeet Kumar Jaiswal	Sitapur	13.12.2019
38	Priya Nagar	Lucknow	17.01.2020

By Order of the Court,
Ashish Garg,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION
July 03, 2022

No. 1119/Admin.(Services)/2022–Sri Sachin Rathore, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Unnao to be Civil Judge (Junior Division), Purwa (Unnao) *vice* Sri Saurabh Shukla.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Purwa (Unnao).

No. 1120/Admin.(Services)/2022–Sri Saurabh Shukla, Civil Judge (Junior Division), Purwa (Unnao) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Agra.

No. 1121/Admin.(Services)/2022–Smt. Deepika, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur for trying cases of crime against women *vice* Km. Sadhna Kumari.

No. 1122/Admin.(Services)/2022–Km. Sadhna Kumari, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Sunil Gupta.

No. 1123/Admin.(Services)/2022–Sri Sunil Gupta, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Jakhaniya (Ghazipur) *vice* Sushri Pooja.

No. 1124/Admin.(Services)/2022–Sushri Pooja, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Jakhaniya (Ghazipur) to be Civil Judge (Junior Division), Ghazipur *vice* Sushri Ganga Sharma.

No. 1125/Admin.(Services)/2022–Sushri Ganga Sharma, Civil Judge (Junior Division), Ghazipur to be Civil Judge (Junior Division), Fatehpur *vice* Smt. Ameey Bhashini.

No. 1126/Admin.(Services)/2022–Smt. Ameey Bhashini, Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur.

No. 1127/Admin.(Services)/2022–Sri Prashant, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 1128/Admin.(Services)/2022–Sushri Kriti Kishore, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda to be Additional Civil Judge (Junior Division), Allahabad.

No. 1129/Admin.(Services)/2022–Sushri Saumya Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gonda *vice* Sri Swapnil Pandey.

No. 1130/Admin.(Services)/2022–Sri Swapnil Pandey, Judicial Magistrate, First Class, Gonda to be Civil Judge (Junior Division), Kannauj *vice* Sri Ankit Verma.

No. 1131/Admin.(Services)/2022–Sri Ankit Verma, Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No. 1132/Admin.(Services)/2022–Sri Satya Prakash Narayan Tewari, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gonda *vice* Smt. Shaleen Mishra.

No. 1133/Admin.(Services)/2022–Smt. Shaleen Mishra, Judicial Magistrate, First Class, Gonda to be Civil Judge (Junior Division) (South), Sultanpur *vice* Smt. Ashalika Pandey.

No. 1134/Admin.(Services)/2022–Smt. Ashalika Pandey, Civil Judge (Junior Division) (South), Sultanpur to be Civil Judge (Junior Division), Sitapur *vice* Sri Anandesh Singh.

No. 1135/Admin.(Services)/2022–Sri Anandesh Singh, Civil Judge (Junior Division), Sitapur to be Civil Judge (Junior Division), Amroha *vice* Sushri Preeti Giri.

No. 1136/Admin.(Services)/2022–Sushri Preeti Giri, Civil Judge (Junior Division), Amroha to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Faizabad *vice* Smt. Tarunima Pandey.

No. 1137/Admin.(Services)/2022–Smt. Tarunima Pandey, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Faizabad is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur *vice* Sri Pawan Kumar Chaurasiya.

No. 1138/Admin.(Services)/2022–Sri Pawan Kumar Chaurasiya, Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Chakarnagar (Etawah) *vice* Sri Ankur Choudhary.

No. 1139/Admin.(Services)/2022–Sri Ankur Choudhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Chakarnagar (Etawah) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

No. 1140/Admin.(Services)/2022–Sri Praduman Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lucknow.

No. 1141/Admin.(Services)/2022–Smt. Aroma Raman Picess, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Sushri Akshita.

No. 1142/Admin.(Services)/2022–Sushri Akshita, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 1143/Admin.(Services)/2022–Sri Satnam Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sarila (Hamirpur) *vice* Sushri Harshita.

No. 1144/Admin.(Services)/2022–Sushri Harshita, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sarila (Hamirpur) to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Satnam Yadav.

No. 1145/Admin.(Services)/2022–Sri Anuj Sinha, Additional Civil Judge (Junior Division), Hardoi is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Sushri Richa Shukla.

No. 1146/Admin.(Services)/2022–Sushri Richa Shukla, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Civil Judge (Junior Division) (East), Hardoi *vice* Sri Vinod Kumar Yadav.

No. 1147/Admin.(Services)/2022–Sri Vinod Kumar Yadav, Civil Judge (Junior Division) (East), Hardoi is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Basti *vice* Sri Vivek Chaudhary.

No. 1148/Admin.(Services)/2022–Sri Vivek Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Basti is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Sushri Akansha Bajpai.

No. 1149/Admin.(Services)/2022–Sushri Akansha Bajpai, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Allahabad.

No. 1150/Admin.(Services)/2022–Smt. Divya Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Allahabad is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Raebareli *vice* Sri Dhruvesh Singh Yadav.

No. 1151/Admin.(Services)/2022–Sri Dhruvesh Singh Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Raebareli to be Civil Judge (Junior Division), Jaunpur *vice* Sushri Sonam Gupta.

No. 1152/Admin.(Services)/2022–Sushri Sonam Gupta, Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot *vice* Sushri Vasundhara Sharma.

No. 1153/Admin.(Services)/2022–Sushri Vasundhara Sharma, Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot *vice* Sushri Sanghmitra.

No. 1154/Admin.(Services)/2022–Sushri Sanghmitra, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot in the vacant court.

No. 1155/Admin.(Services)/2022–Sri Zeeshan Mehdi, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras to be Civil Judge (Junior Division), Sikandra Rau (Hathras) *vice* Sri Mohammad Arif.

No. 1156/Admin.(Services)/2022–Sri Mohammad Arif, Civil Judge (Junior Division), Sikandra Rau (Hathras) to be Civil Judge (Junior Division) (City), Saharanpur *vice* Sushri Geetika Garg.

No. 1157/Admin.(Services)/2022–Sushri Geetika Garg, Civil Judge (Junior Division) (City), Saharanpur is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sri Rajat Sharma.

No. 1158/Admin.(Services)/2022–Sri Rajat Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sri Kumar Ashish.

No. 1159/Admin.(Services)/2022–Sri Kumar Ashish, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur) *vice* Sri Aditya Singh.

No. 1160/Admin.(Services)/2022–Sri Aditya Singh, Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur) to be Civil Judge (Junior Division), Chandpur (Bijnor) *vice* Sri Napendra Kumar.

No. 1161/Admin.(Services)/2022–Sri Napendra Kumar, Civil Judge (Junior Division), Chandpur (Bijnor) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 1162/Admin.(Services)/2022–Sushri Negi Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hathras for trying cases of crime against women *vice* Sri Amratanshu Raj.

No. 1163/Admin.(Services)/2022–Sri Amratanshu Raj, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hathras to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sadabad (Hathras).

No. 1164/Admin.(Services)/2022–Sri Saurabh Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Sadabad (Hathras) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar.

No. 1165/Admin.(Services)/2022–Sri Anurag, Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Ghatampur (Ramabai Nagar) *vice* Sri Pranav Tripathi.

No. 1166/Admin.(Services)/2022–Sri Pranav Tripathi, Civil Judge (Junior Division), Ghatampur (Ramabai Nagar) to be Civil Judge (Junior Division), Etawah *vice* Sushri Garima Singh.

No. 1167/Admin.(Services)/2022–Sushri Garima Singh, Civil Judge (Junior Division), Etawah is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur *vice* Sushri Geetika Singh.

No. 1168/Admin.(Services)/2022–Sushri Geetika Singh, Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur.

No. 1169/Admin.(Services)/2022–Smt. Bhawna Bhartiya, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh.

No. 1170/Admin.(Services)/2022–Sri Kunwar Divyadarshi, Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh to be Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) *vice* Sushri Lalita Yadav.

No. 1171/Admin.(Services)/2022–Sushri Lalita Yadav, Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) to be Civil Judge (Junior Division), Mirzapur *vice* Smt. Akriti Gautam.

No. 1172/Admin.(Services)/2022–Smt. Akriti Gautam, Civil Judge (Junior Division), Mirzapur is appointed under section 16(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Sri Abhinav Srivastava.

No. 1173/Admin.(Services)/2022–Sri Abhinav Srivastava, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sitapur *vice* Smt. Kavya Srivastava.

No. 1174/Admin.(Services)/2022–Smt. Kavya Srivastava, Judicial Magistrate, First Class, Sitapur to be Judicial Magistrate, First Class, Sitapur *vice* Sushri Mrinalini Srivastava.

No. 1175/Admin.(Services)/2022–Sushri Mrinalini Srivastava, Judicial Magistrate, First Class, Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 1176/Admin.(Services)/2022–Sri Gaurav Deep Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras to be Civil Judge (Junior Division), Sadabad (Hathras) *vice* Sri Yogesh Jain.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sadabad (Hathras).

No. 1177/Admin.(Services)/2022–Sri Yogesh Jain, Civil Judge (Junior Division), Sadabad (Hathras) to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Meerut *vice* Sushri Binny Balyan.

No. 1178/Admin.(Services)/2022–Sushri Binny Balyan, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Meerut to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 1179/Admin.(Services)/2022–Sri Arun Kumar Rana, Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut to be Civil Judge (Junior Division), Mawana (Meerut) *vice* Sri Pushpendra Chaudhary.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mawana (Meerut).

No. 1180/Admin.(Services)/2022–Sri Pushpendra Chaudhary, Civil Judge (Junior Division), Mawana (Meerut) to be Civil Judge (Junior Division), Mahoba *vice* Smt. Arpita Singh.

No. 1181/Admin.(Services)/2022–Smt. Arpita Singh, Civil Judge (Junior Division), Mahoba to be Civil Judge (Junior Division), Gautam Buddh Nagar *vice* Smt. Vandana Agarwal.

No. 1182/Admin.(Services)/2022–Smt. Vandana Agarwal, Civil Judge (Junior Division), Gautam Buddh Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai *vice* Sushri Richa Awasthi.

No. 1183/Admin.(Services)/2022–Sushri Richa Awasthi, Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) *vice* Sri Arnav Raj Chakravorty.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jalaun (Jalaun at Orai).

No. 1184/Admin.(Services)/2022–Sri Arnav Raj Chakravorty, Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad *vice* Sri Amit Kumar Verma.

No. 1185/Admin.(Services)/2022–Sri Amit Kumar Verma, Judicial Magistrate, First Class, Allahabad to be Civil Judge (Junior Division), Jalalabad (Shahjahanpur) *vice* Sri Yugal Chandra Chaudhary.

No. 1186/Admin.(Services)/2022–Sri Yugal Chandra Chaudhary, Civil Judge (Junior Division), Jalalabad (Shahjahanpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Allahabad.

No. 1187/Admin.(Services)/2022–Sri Shivarth Khare, Judicial Magistrate, First Class, Allahabad to be Civil Judge (Junior Division), Kulpahar (Mahoba) *vice* Sri Divyakant Singh Rathore.

No. 1188/Admin.(Services)/2022–Sri Divyakant Singh Rathore, Civil Judge (Junior Division), Kulpahar (Mahoba) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gautam Buddh Nagar *vice* Sri Shashank Gupta.

No. 1189/Admin.(Services)/2022–Sri Shashank Gupta, Judicial Magistrate, First Class, Gautam Buddh Nagar is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai *vice* Sri Tushar Jaiswal.

No. 1190/Admin.(Services)/2022–Sri Tushar Jaiswal, Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai to be Additional Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai).

No. 1191/Admin.(Services)/2022–Smt. Abhishikta Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) to be Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) *vice* Sri Palash Ganguly.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Konch (Jalaun at Orai).

No. 1192/Admin.(Services)/2022–Sri Palash Ganguly, Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad *vice* Sri Shivarth Khare.

No. 1193/Admin.(Services)/2022–Sri Abhay Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Divya Chandra.

No. 1194/Admin.(Services)/2022–Sushri Divya Chandra, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah for trying cases of crime against women *vice* Sri Sandeep Singh.

No. 1195/Admin.(Services)/2022–Sri Sandeep Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Saifai (Etawah) *vice* Sri Satish Kumar.

No. 1196/Admin.(Services)/2022–Sri Satish Kumar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Saifai (Etawah) is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur *vice* Smt. Kalpana Yadav.

No. 1197/Admin.(Services)/2022–Smt. Kalpana Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jhansi *vice* Sri Devpriy Saraswat.

No. 1198/Admin.(Services)/2022–Sri Devpriy Saraswat, Judicial Magistrate, First Class, Jhansi to be Judicial Magistrate, First Class, Jhansi *vice* Sri Md. Zishan Khan.

No. 1199/Admin.(Services)/2022–Sri Md. Zishan Khan, Judicial Magistrate, First Class, Jhansi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jhansi.

No. 1200/Admin.(Services)/2022–Sri Chandra Prakash Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna) is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushinagar at Padrauna) *vice* Sri Navanit Kasyap.

No. 1201/Admin.(Services)/2022–Sri Navanit Kasyap, Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushinagar at Padrauna) to be Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna) *vice* Sri Shobhit Ray.

No. 1202/Admin.(Services)/2022–Sri Shobhit Ray, Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna) to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Lucknow *vice* Sushri Sonali Mishra.

No. 1203/Admin.(Services)/2022–Sushri Sonali Mishra, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Lucknow to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lucknow.

No. 1204/Admin.(Services)/2022–Smt. Surekha, Civil Judge (Junior Division), Mehrauni (Lalitpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur.

No. 1205/Admin.(Services)/2022–Sri Sourabh Mandloi, Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Civil Judge (Junior Division), Mehrauni (Lalitpur) *vice* Smt. Surekha.

No. 1206/Admin.(Services)/2022–Sri Prabhat Kumar Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Maharajganj to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nichlaul (Maharajganj) *vice* Sushri Shweta Soni.

No. 1207/Admin.(Services)/2022–Sushri Shweta Soni, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nichlaul (Maharajganj) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Maharajganj *vice* Sushri Isha Agarwal.

No. 1208/Admin.(Services)/2022–Sushri Isha Agarwal, Judicial Magistrate, First Class, Maharajganj to be Civil Judge (Junior Division), Maharajganj *vice* Sri Sharjil Khan.

No. 1209/Admin.(Services)/2022–Sri Sharjil Khan, Civil Judge (Junior Division), Maharajganj is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Lucknow *vice* Sushri Ankita Singh.

No. 1210/Admin.(Services)/2022–Sushri Ankita Singh, Judicial Magistrate, First Class, Lucknow to be Judicial Magistrate, First Class, Lucknow *vice* Smt. Priyanka Gandhi.

No. 1211/Admin.(Services)/2022–Smt. Priyanka Gandhi, Judicial Magistrate, First Class, Lucknow to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lucknow.

No. 1212/Admin.(Services)/2022–Sri Devesh Tripathi, Additional Civil Judge (Junior Division), Pharenda (Maharajganj) to be Civil Judge (Junior Division), Pharenda (Maharajganj) *vice* Sri Yashpal Verma.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Pharenda (Maharajganj).

No. 1213/Admin.(Services)/2022–Sri Yashpal Verma, Civil Judge (Junior Division), Pharenda (Maharajganj) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh in the vacant court.

No. 1214/Admin.(Services)/2022–Sushri Shikha Chaudhari, Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri *vice* Sushri Meenakshi Bansal.

No. 1215/Admin.(Services)/2022–Sushri Meenakshi Bansal, Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri.

No. 1216/Admin.(Services)/2022–Sushri Aayushi Pandey, Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri *vice* Smt. Priyanka Verma.

No. 1217/Admin.(Services)/2022–Smt. Priyanka Verma, Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri to be Civil Judge (Junior Division), Mainpuri *vice* Sushri Yogesh Shiva.

No. 1218/Admin.(Services)/2022–Sushri Yogesh Shiva, Civil Judge (Junior Division), Mainpuri to be Civil Judge (Junior Division), Anoopshahar (Bulandshahar) *vice* Sri Saket Mishra.

No. 1219/Admin.(Services)/2022–Sri Saket Mishra, Civil Judge (Junior Division), Anoopshahar (Bulandshahar) to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Varanasi *vice* Sushri Komal Srivastava.

No. 1220/Admin.(Services)/2022–Sushri Komal Srivastava, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Varanasi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 1221/Admin.(Services)/2022–Smt. Nandini Uppadhyay, Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur.

No. 1222/Admin.(Services)/2022–Sri Aditya Ranjan, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Civil Judge (Junior Division), Khaga (Fatehpur) *vice* Sushri Kiran Mishra.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Khaga (Fatehpur).

No. 1223/Admin.(Services)/2022–Sushri Kiran Mishra, Civil Judge (Junior Division), Khaga (Fatehpur) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur *vice* Sri Neeraj Singh.

No. 1224/Admin.(Services)/2022–Sri Neeraj Singh, Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division), Raebareli *vice* Sushri Kriti Singh.

No. 1225/Admin.(Services)/2022–Sushri Kriti Singh, Civil Judge (Junior Division), Raebareli is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Sushri Richa Sharma.

No. 1226/Admin.(Services)/2022–Sushri Richa Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Civil Judge (Junior Division), Budaun *vice* Sushri Ankita Singh.

No. 1227/Admin.(Services)/2022–Sushri Ankita Singh, Civil Judge (Junior Division), Budaun to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sultanpur.

No. 1228/Admin.(Services)/2022–Sushri Vrishali Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Sultanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sultanpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Amar Prasad.

No. 1229/Admin.(Services)/2022–Sri Amar Prasad, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sultanpur to be Civil Judge (Junior Division), Musafirkhana (Sultanpur) *vice* Sri Siddharth Verma.

No. 1230/Admin.(Services)/2022–Sri Siddharth Verma, Civil Judge (Junior Division), Musafirkhana (Sultanpur) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Raebareli *vice* Sri Mohd. Shahnawaz Ahmad Siddiqui.

No. 1231/Admin.(Services)/2022–Sri Mohd. Shahnawaz Ahmad Siddiqui, Judicial Magistrate, First Class, Raebareli to be Additional Civil Judge (Junior Division), Raebareli.

No. 1232/Admin.(Services)/2022–Sri Ankur Singh Solanki, Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur).

No. 1233/Admin.(Services)/2022–Sri Shamsul Rahman, Additional Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) to be Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) *vice* Sushri Anu Chaudhary.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Garhmukteshwar (Hapur).

No. 1234/Admin.(Services)/2022–Sushri Anu Chaudhary, Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) to be Civil Judge (Junior Division), Auraiya *vice* Sushri Meher Jahan.

No. 1235/Admin.(Services)/2022–Sushri Meher Jahan, Civil Judge (Junior Division), Auraiya is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Auraiya *vice* Sushri Priyal Sharma.

No. 1236/Admin.(Services)/2022–Sushri Priyal Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Auraiya to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 1237/Admin.(Services)/2022–Smt. Shipra Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Mau to be Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad Gohna sitting at Mau *vice* Sri Amit Mani Tripathi.

No. 1238/Admin.(Services)/2022–Sri Amit Mani Tripathi, Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad Gohna sitting at Mau is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau *vice* Smt. Alka Nehal.

No. 1239/Admin.(Services)/2022–Smt. Alka Nehal, Judicial Magistrate, First Class, Mau to be Civil Judge (Junior Division), Mau *vice* Sri Vakeel.

No. 1240/Admin.(Services)/2022–Sri Vakeel, Civil Judge (Junior Division), Mau to be Civil Judge (Junior Division), Khair (Aligarh) *vice* Smt. Arshi Noor.

No. 1241/Admin.(Services)/2022–Smt. Arshi Noor, Civil Judge (Junior Division), Khair (Aligarh) to be Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur *vice* Sushri Saumya Dwivedi.

No. 1242/Admin.(Services)/2022–Sushri Saumya Dwivedi, Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 1243/Admin.(Services)/2022–Smt. Avantika Prabhakar, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar.

No. 1244/Admin.(Services)/2022–Sushri Shwetika Upadhyay, Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Ashutosh Singh.

No. 1245/Admin.(Services)/2022–Sri Ashutosh Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Devesh Kumar Yadav.

No. 1246/Admin.(Services)/2022–Sri Devesh Kumar Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

No. 1247/Admin.(Services)/2022–Sri Amit Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Marihan (Mirzapur) *vice* Sri Sumit Parasar.

No. 1248/Admin.(Services)/2022–Sri Sumit Parasar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Marihan (Mirzapur) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Moradabad *vice* Sushri Khushboo Chandra.

No. 1249/Admin.(Services)/2022–Sushri Khushboo Chandra, Judicial Magistrate, First Class, Moradabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No. 1250/Admin.(Services)/2022–Sushri Astha Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Poonam Kumari Chauhan.

No. 1251/Admin.(Services)/2022–Sushri Poonam Kumari Chauhan, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Indu Verma.

No. 1252/Admin.(Services)/2022–Smt. Indu Verma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jhansi against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Aviral Umrao.

No. 1253/Admin.(Services)/2022–Sri Aviral Umrao, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jhansi to be Civil Judge (Junior Division), Moth (Jhansi) *vice* Sri Sushant Bahal.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Moth (Jhansi).

No. 1254/Admin.(Services)/2022–Sri Sushant Bahal, Civil Judge (Junior Division), Moth (Jhansi) to be Civil Judge (Junior Division), Firozabad *vice* Sushri Srishti Pandey.

No. 1255/Admin.(Services)/2022–Sushri Srishti Pandey, Civil Judge (Junior Division), Firozabad is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Firozabad *vice* Sri Shubham Chaudhary.

No. 1256/Admin.(Services)/2022–Sri Shubham Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Firozabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad.

No. 1257/Admin.(Services)/2022–Smt. Ruchi Bhati, Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Kapil Yadav.

No. 1258/Admin.(Services)/2022–Sri Kapil Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Abhishek Singh.

No. 1259/Admin.(Services)/2022–Sri Abhishek Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tundla (Firozabad) *vice* Sri Girendra Singh.

No. 1260/Admin. (Services)/2022–Sri Girendra Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tundla (Firozabad) to be Civil Judge (Junior Division), Duddhi (Sonbhadra) *vice* Sri Ranjeet Kumar Jaiswal.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Duddhi (Sonbhadra).

No. 1261/Admin.(Services)/2022–Sri Ranjeet Kumar Jaiswal, Civil Judge (Junior Division), Duddhi (Sonbhadra) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 1262/Admin.(Services)/2022–Sushri Anchal Rana, Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Kirti Singh.

No. 1263/Admin.(Services)/2022–Smt. Kirti Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 1264/Admin.(Services)/2022–Smt. Tusharika Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sambhal at Chandausi in the vacant court.

No. 1265/Admin.(Services)/2022–Smt. Vandana, Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Vidhuna (Auraiya) *vice* Smt. Surabhi Shree Gupta.

No. 1266/Admin.(Services)/2022–Smt. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge (Junior Division), Vidhuna (Auraiya) to be Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar *vice* Smt. Chetna Tyagi.

No. 1267/Admin.(Services)/2022–Smt. Chetna Tyagi, Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar *vice* Smt. Seema Singh.

No. 1268/Admin.(Services)/2022–Smt. Seema Singh, Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar.

No. 1269/Admin.(Services)/2022–Sushri Diksha Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Jalesar (Etah) *vice* Sri Ravi Kumar.

No. 1270/Admin.(Services)/2022–Sri Ravi Kumar, Civil Judge (Junior Division), Jalesar (Etah) to be 1st Civil Judge (Junior Division), Hapur *vice* Smt. Farheen Khan.

No. 1271/Admin.(Services)/2022–Smt. Farheen Khan, 1st Civil Judge (Junior Division), Hapur to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur *vice* Sushri Shalini Tyagi.

No. 1272/Admin.(Services)/2022–Sushri Shalini Tyagi, 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hapur.

No. 1273/Admin.(Services)/2022–Sri Hardik Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Muzaffar Nagar *vice* Smt. Vibha Dhama.

No. 1274/Admin.(Services)/2022–Smt. Vibha Dhama, Judicial Magistrate, First Class, Muzaffar Nagar to be Judicial Magistrate, First Class, Muzaffar Nagar *vice* Smt. Zeba Rauf.

No. 1275/Admin.(Services)/2022–Smt. Zeba Rauf, Judicial Magistrate, First Class, Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Moradabad *vice* Sushri Shubhangi Gupta.

No. 1276/Admin.(Services)/2022–Sushri Shubhangi Gupta, Civil Judge (Junior Division), Moradabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No. 1277/Admin.(Services)/2022–Sri Dushyant Kumar Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad to be Civil Judge (Junior Division), Thakurdwara (Moradabad) *vice* Smt. Anjum Saifi.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Thakurdwara (Moradabad).

No. 1278/Admin.(Services)/2022–Smt. Anjum Saifi, Civil Judge (Junior Division), Thakurdwara (Moradabad) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mirzapur *vice* Sri Saurabh Srivastava.

No. 1279/Admin.(Services)/2022–Sri Saurabh Srivastava, Judicial Magistrate, First Class, Mirzapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1280/Admin.(Services)/2022–Smt. Anamika Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 1281/Admin.(Services)/2022–Sushri Sulochna Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Yugmita Pratap.

No. 1282/Admin.(Services)/2022–Sushri Yugmita Pratap, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 1283/Admin.(Services)/2022–Smt. Sumbul Irshad, Additional Civil Judge (Junior Division), Pilibhit is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Pilibhit *vice* Smt. Shubhi Agrawal.

No. 1284/Admin.(Services)/2022–Smt. Shubhi Agrawal, Judicial Magistrate, First Class, Pilibhit to be Civil Judge (Junior Division), Pilibhit *vice* Sri Kunvar Mallikarjun.

No. 1285/Admin.(Services)/2022–Sri Kunvar Mallikarjun, Civil Judge (Junior Division), Pilibhit to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Pooranpur (Pilibhit) *vice* Sushri Nidhi Sagar.

No. 1286/Admin.(Services)/2022–Sushri Nidhi Sagar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Pooranpur (Pilibhit) to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pilibhit against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 1287/Admin.(Services)/2022–Sri Siddhartha Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh to be Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) *vice* Sushri Kisa Zaheer.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kunda (Pratapgarh).

No. 1288/Admin.(Services)/2022–Sushri Kisa Zaheer, Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) to be Civil Judge (Junior Division) (North), Lucknow *vice* Smt. Meenakshi Yadav.

No. 1289/Admin.(Services)/2022–Smt. Meenakshi Yadav, Civil Judge (Junior Division) (North), Lucknow is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Ambedkar Nagar at Akbarpur *vice* Smt. Ambuj Mishra.

No. 1290/Admin.(Services)/2022–Smt. Ambuj Mishra, Judicial Magistrate, First Class, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar.

No. 1291/Admin.(Services)/2022–Smt. Rashi Tomar, Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar to be Civil Judge (Junior Division), Bhognipur (Ramabai Nagar) *vice* Sri Kripa Shankar.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bhognipur (Ramabai Nagar).

No. 1292/Admin.(Services)/2022–Sri Kripa Shankar, Civil Judge (Junior Division), Bhognipur (Ramabai Nagar) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Etawah *vice* Sri Prashant Kumar Singh.

No. 1293/Admin (Services)/2022–Sri Prashant Kumar Singh, Judicial Magistrate, First Class, Etawah to be Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad.

No. 1294/Admin.(Services)/2022–Sri Pradeep Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Abhay Kumar.

No. 1295/Admin.(Services)/2022–Sri Abhay Kumar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pratapgarh to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Banda against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Kanchan Kumari.

No. 1296/Admin.(Services)/2022–Sushri Kanchan Kumari, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Banda to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Banda for trying cases of crime against women *vice* Sushri Manisha Sahu.

No. 1297/Admin.(Services)/2022–Sushri Manisha Sahu, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Banda to be Additional Civil Judge (Junior Division), Banda.

No. 1298/Admin.(Services)/2022–Sri Nishant, Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura.

No. 1299/Admin.(Services)/2022–Smt. Alka Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mathura for trying cases of crime against women *vice* Sri Ashish Singh.

No. 1300/Admin.(Services)/2022–Sri Ashish Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mathura to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mathura against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Prince Jindal.

No. 1301/Admin.(Services)/2022–Sri Prince Jindal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mathura to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Mant (Mathura) *vice* Sri Sumit Kumar.

No. 1302/Admin.(Services)/2022–Sri Sumit Kumar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Mant (Mathura) is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Pratapgarh *vice* Sushri Samali Mittal.

No. 1303/Admin.(Services)/2022–Sushri Samali Mittal, Judicial Magistrate, First Class, Pratapgarh to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Saharanpur *vice* Sri Rohit Puri.

No. 1304/Admin.(Services)/2022–Sri Rohit Puri, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur.

No. 1305/Admin.(Services)/2022–Sushri Shweta Nain, Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sushri Nisha Ali.

No. 1306/Admin.(Services)/2022–Sushri Nisha Ali, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur.

No. 1307/Admin.(Services)/2022–Sushri Huma, Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Shilpa Jain.

No. 1308/Admin.(Services)/2022–Sushri Shilpa Jain, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Priyanka Saran.

No. 1309/Admin.(Services)/2022–Smt. Priyanka Saran, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 1310/Admin.(Services)/2022–Sri Ashutosh Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Rampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1311/Admin.(Services)/2022–Sushri Sadhana Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Rampur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women *vice* Sri Mayank Singh.

No. 1312/Admin.(Services)/2022–Sri Mayank Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bilaspur (Rampur) *vice* Sushri Roopali Singh.

No. 1313/Admin.(Services)/2022–Sushri Roopali Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bilaspur (Rampur) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Rampur *vice* Sushri Bindiya Bhatnagar.

No. 1314/Admin.(Services)/2022–Sushri Bindiya Bhatnagar, Judicial Magistrate, First Class, Rampur to be Civil Judge (Junior Division), Rampur *vice* Sri Ashish Thirania.

No. 1315/Admin.(Services)/2022–Sri Ashish Thirania, Civil Judge (Junior Division), Rampur to be Civil Judge (Junior Division) (West), Ballia *vice* Sri Arun Kumar Gupta.

No. 1316/Admin.(Services)/2022–Sri Arun Kumar Gupta, Civil Judge (Junior Division) (West), Ballia is appointed under section 16(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 1317/Admin.(Services)/2022–Sri Mohammed Faraz Husain, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Ajeet Kumar Mishra.

No. 1318/Admin.(Services)/2022–Sri Ajeet Kumar Mishra, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sant Kabir Nagar *vice* Sri Prabhat Kumar Dubey.

No. 1319/Admin.(Services)/2022–Sri Prabhat Kumar Dubey, Judicial Magistrate, First Class, Sant Kabir Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Sant Kabir Nagar *vice* Sri Deepak Kumar Singh.

No. 1320/Admin.(Services)/2022–Sri Deepak Kumar Singh, Civil Judge (Junior Division), Sant Kabir Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Azamgarh *vice* Sri Anupam Kushwaha.

No. 1321/Admin.(Services)/2022–Sri Anupam Kushwaha, Civil Judge (Junior Division), Azamgarh is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Fatehpur *vice* Sri Rajat Kumar Yadav.

No. 1322/Admin.(Services)/2022–Sri Rajat Kumar Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Fatehpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur.

No. 1323/Admin.(Services)/2022–Sushri Preeti Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Fatehpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Vishal Sharma.

No. 1324/Admin.(Services)/2022–Sri Vishal Sharma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Fatehpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Fatehpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Ratn Shekhar Nirmal.

No. 1325/Admin.(Services)/2022–Sri Ratn Shekhar Nirmal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Fatehpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bindki (Fatehpur) *vice* Sri Atul Pal.

No. 1326/Admin.(Services)/2022–Sri Atul Pal, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bindki (Fatehpur) is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Faizabad *vice* Smt. Bhavya Srivastava.

No. 1327/Admin.(Services)/2022–Smt. Bhavya Srivastava, Judicial Magistrate, First Class, Faizabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Agra.

No. 1328/Admin.(Services)/2022–Sushri Madhuri Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Agra for trying cases of crime against women *vice* Smt. Sangeeta Gautam.

No. 1329/Admin.(Services)/2022–Smt. Sangeeta Gautam, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Agra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Agra against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Pushpendra Kumar Singh.

No. 1330/Admin.(Services)/2022–Sri Pushpendra Kumar Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Agra to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Etmadpur (Agra) *vice* Sushri Sandhya Baghel.

No. 1331/Admin.(Services)/2022–Sushri Sandhya Baghel, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Etmadpur (Agra) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Agra.

No. 1332/Admin.(Services)/2022–Sri Umam Zahid, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur).

No. 1333/Admin.(Services)/2022–Sri Anurag Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur) to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj *vice* Smt. Alka.

No. 1334/Admin.(Services)/2022–Smt. Alka, 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Sushri Priyamvada Chowdhary.

No. 1335/Admin.(Services)/2022–Sushri Priyamvada Chowdhary, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 1336/Admin.(Services)/2022–Sri Shubham Dwivedi, Additional Civil Judge (Junior Division), Shravasti at Bhinga is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Shravasti at Bhinga *vice* Sri Prafull Upadhyay.

No. 1337/Admin.(Services)/2022–Sri Prafull Upadhyay, Judicial Magistrate, First Class, Shravasti at Bhinga to be Civil Judge (Junior Division), Shravasti at Bhinga *vice* Sri Prabhat Singh.

No. 1338/Admin.(Services)/2022–Sri Prabhat Singh, Civil Judge (Junior Division), Shravasti at Bhinga is appointed under section 16(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Smt. Yogita Kumar.

No. 1339/Admin.(Services)/2022–Smt. Yogita Kumar, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

No. 1340/Admin.(Services)/2022–Sri Navneet Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar *vice* Sushri Manisha Gupta.

No. 1341/Admin.(Services)/2022–Sushri Manisha Gupta, Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar *vice* Sri Saurabh Ojha.

No. 1342/Admin.(Services)/2022–Sri Saurabh Ojha, Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar) *vice* Sri Sunil Kumar Singh.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bansi (Siddharth Nagar).

No. 1343/Admin.(Services)/2022–Sri Sunil Kumar Singh, Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar) to be Civil Judge (Junior Division) (City), Azamgarh *vice* Sushri Shailja Mishra.

No. 1344/Admin.(Services)/2022–Sushri Shailja Mishra, Civil Judge (Junior Division) (City), Azamgarh to be Civil Judge (Junior Division), Bahraich *vice* Sri Purushottam Awasthi.

No. 1345/Admin.(Services)/2022–Sri Purushottam Awasthi, Civil Judge (Junior Division), Bahraich to be Civil Judge (Junior Division) (East), Allahabad *vice* Sri Shrikant Gaurav.

No. 1346/Admin.(Services)/2022–Sri Shrikant Gaurav, Civil Judge (Junior Division) (East), Allahabad to be Civil Judge (Junior Division), Deoria *vice* Sushri Swarnmala Singh.

No. 1347/Admin.(Services)/2022–Sushri Swarnmala Singh, Civil Judge (Junior Division), Deoria to be Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra *vice* Sri Abhinav Yadav.

No. 1348/Admin.(Services)/2022–Sri Abhinav Yadav, Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Mauranipur (Jhansi) *vice* Smt. Noopur Srivastava.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mauranipur (Jhansi).

No. 1349/Admin.(Services)/2022–Smt. Noopur Srivastava, Civil Judge (Junior Division), Mauranipur (Jhansi) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gautam Buddh Nagar.

No. 1350/Admin.(Services)/2022–Sushri Shubhra Prakash, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra is appointed Under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh in the vacant court.

No. 1351/Admin.(Services)/2022–Sushri Nivedita Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura.

No. 1352/Admin.(Services)/2022–Sri Saransh Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura to be Civil Judge (Junior Division), Chhata (Mathura) *vice* Smt. Swati Singh.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chhata (Mathura).

No. 1353/Admin.(Services)/2022–Smt. Swati Singh, Civil Judge (Junior Division), Chhata (Mathura) is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut *vice* Smt. Swati Verma.

No. 1354/Admin.(Services)/2022–Smt. Swati Verma, Judicial Magistrate, First Class, Meerut to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 1355/Admin.(Services)/2022–Sri Vipin Kumar Chaurasiya, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur) *vice* Sri Ashish Kumar Singh.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bansgaon (Gorakhpur).

No. 1356/Admin.(Services)/2022–Sri Ashish Kumar Singh, Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur) to be Civil Judge (Junior Division) (City), Kanpur Nagar *vice* Sri Ashish Kamboj.

No. 1357/Admin.(Services)/2022–Sri Ashish Kamboj, Civil Judge (Junior Division) (City), Kanpur Nagar to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Patiyali (Kasganj) *vice* Sri Arpit Panwar.

No. 1358/Admin.(Services)/2022–Sri Arpit Panwar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Patiyali (Kasganj) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 1359/Admin.(Services)/2022–Sushri Akshita Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Mahmoodabad (Sitapur) *vice* Sri Amit Singh.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mahmoodabad (Sitapur).

No. 1360/Admin.(Services)/2022–Sri Amit Singh, Civil Judge (Junior Division), Mahmoodabad (Sitapur) to be Civil Judge (Junior Division) (North), Sultanpur *vice* Smt. Shraddha Lal.

No. 1361/Admin. (Services)/2022–Smt. Shraddha Lal, Civil Judge (Junior Division) (North), Sultanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj.

No. 1362/Admin.(Services)/2022–Sri Vijay Shankar Gautam, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Ghorawal (Sonbhadra) to be Civil Judge (Junior Division), Baheri (Bareilly) *vice* Smt. Priyanka Anjor.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Baheri (Bareilly).

No. 1363/Admin.(Services)/2022–Smt. Priyanka Anjor, Civil Judge (Junior Division), Baheri (Bareilly) to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bareilly against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission, in the vacant court.

NOTIFICATION/CORRIGENDUM

July 04, 2022

No. 1364/Admin.(Services)/2022–In continuation of the Court's Notification No. 650/Admin. (Services)/2022 dated 03.07.2022, Sri Aniruddha Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Special Judge, Allahabad for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 1365/Admin.(Services)/2022–In supersession of the Court's Notification No. 612/Admin. (Services)/2022 dated 03.07.2022, Smt. Yasmin Akbar, Additional Principal Judge, Family Court, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 1366 /Admin. (Services)/2022–In supersession of the Court's Notification No. 300/Admin. (Services)/2022 dated 03.07.2022, Sri Nusrat Khan, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut for trying cases of crime against women *vice* Sri Ankit Kumar Mittal.

No. 1367 /Admin. (Services)/2022–Sri Ankit Kumar Mittal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Ghanendra Kumar.

No. 1368 /Admin. (Services)/2022–In partial modification to the Court's Notification No. 370/ Admin.(Services) /2022 dated 03.07.2022, the name of the district mentioned in the last line of the said notification be read as 'Agra' in place of 'Ghazipur'.

No. 1369 /Admin. (Services)/2022–In supersession of the Court's Notification No. 627/Admin. (Services)/2022 dated 03.07.2022, Sri Pushpender Singh, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 1370 /Admin. (Services)/2022–Sri Dinesh Kumar Chaurasia, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women *vice* Sri Asif Iqbal Rizvi.

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

04 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 7330(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-भेड़ौहा में स्थित 0.1223245 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6086/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0 नगर/अधि0सू0/2020-21/दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट

उ0प्र0 में दिनांक 27 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-भेड़ौहा की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	भेड़ौहा	67	0.0304736
2					68	0.0918509
					योग. .	**0.1223245**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	भेड़ौहा	शून्य	शून्य

नोटः—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच—खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

[Under sub-section (1) of section 19 of the act]

No. 7330 (I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23–Whereas preliminary notification no. 6086/VIII-S.L.A.O.-SDR./Notification/2020-21 dated June 27, 2022 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.1223245 hectares of land in Village-Bhedauha, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 27th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Bhedauha, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bhedauha	67	0.0304736
2					68	0.0918509
					Total . .	**0.1223245**

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehablitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bhedauha	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by Agency has been declared that no families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously

recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

04 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 7331(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-केशवार में स्थित 2.436813 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6087/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0 नगर/अधि0सू0/2020-21/दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0प्र0 में दिनांक 27 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-केशवार की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	केशवार	1	0.509455
2					2	0.165972
3					3	0.059408
4					4	0.057748
5					5	0.084348
6					29	0.106206
7					30	0.126989
8					31	0.15284
9					35	0.499988
10					42	0.673859
					योग..	**2.436813**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	केशवार	शून्य	शून्य

नोटः—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

No. 7331(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23–Whereas preliminary notification no. 6085/VIII-S.L.A.O.-SDR/Notification/2020-21 dated June 27, 2022 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.436813 hectares of land in Village-Keshvaar, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 27th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Keshvaar, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Keshvaar	1	0.509455
2					2	0.165972
3					3	0.059408
4					4	0.057748
5					5	0.084348
6					29	0.106206
7					30	0.126989
8					31	0.15284
9					35	0.499988
10					42	0.673859
					Total . .	**2.436813**

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehablitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Keshvaar	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by Agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

04 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 7332(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-गनवरिया में स्थित 1.6816397 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6088/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0 नगर/अधि0सू0/2020-21/दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0प्र0 में दिनांक 27 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-गनवरिया की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गनवरिया	47	0.0061724
2					49	0.1023151
3					58	0.0688325
4					57	0.00096
5					50	0.0397359
6					51	0.0106796
7					54	0.1654115
8					56	0.2314897
9					65	0.4068621
10					74	0.0536129
11					75	0.0999542

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12					80	0.0022108
13					84	0.1286913
14					86	0.0666173
15					71-मि0	0.1020218
16					73	0.1960726
					योग..	**1.6816397**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गनवरिया	शून्य	शून्य

नोटः—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

No. 7332(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23–Whereas preliminary notification no. 6088/VIII-S.L.A.O.-SDR./Notification/2020-21 dated June 27, 2022 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.6816397 hectares of land in Village-Ganwariya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal,

Gorakhpur and lastly published on 27th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Ganwariya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Ganwariya	47	0.0061724
2					49	0.1023151
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Ganwariya	58	0.0688325
4					57	0.00096
5					50	0.0397359
6					51	0.0106796
7					54	0.1654115
8					56	0.2314897
9					65	0.4068621
10					74	0.0536129
11					75	0.0999542
12					80	0.0022108
13					84	0.1286913
14					86	0.0666173
15					71-मि0	0.1020218
16					73	0.1960726
					Total . .	**1.6816397**

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehablitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Ganwariya	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 19, 1944 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

06 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 परिषद्–9/901–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के पत्रांकः सामान्य(1) प्रथम/306/2022–23 दिनांक 09.05.2022 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–8 ने अपने पत्र संख्या–1748/15–8–2022–3009/2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16–छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–तीन के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण हेतु स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में एतद् द्वारा खण्ड निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	**स्तम्भ–2** प्रतिस्थापित खण्ड
103–यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के पद रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर यदि वह पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताएं यदि कोई हो, रखता हो, और नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो, नियुक्त किया जा सकता है।	103–यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था (अल्पसंख्यक संस्था सहित) का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत कर्मचारी का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो और 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
स्पष्टीकरण :– इस विनियम के प्रयोजनार्थ ''कुटुम्ब का सदस्य'' का तात्पर्य मृतक की विधवा/विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री से होगा। टिप्पणी :– यह विनियम और विनियम 104 से 107 तक उन मृत कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा, जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 1981 को या उसके पश्चात हुई हो।	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हतायें पूरी करता हो: परन्तु यह और कि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक कर्मचारी का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी० ओ० ई० ए० सी० सी० सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''सी०सी०सी०'' प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टकण में 30 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। (दो) नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो। स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजनार्थ (ग) ''कुटुम्ब के सदस्य'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बधी होगेः– (एक) पत्नी या पति (दो) पुत्र या दत्तक पुत्र (तीन) पुत्रियां (जिसमें दत्तक पुत्रियॉ सम्मिलित है) और विधवा पुत्र वधुएं (चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। (पांच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी। ''परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उक्त उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी शामिल होंगी।''

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
104– किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के दशा में मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिपोट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनांक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टिया दर्ज करेगा।	104– किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनांक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियाँ दर्ज करेगा।
105–विनियम–104 में निर्दिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमे आवेदक को विनियम 106 में दिये गये उपबन्धो के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगेः– **1**– जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष **2**– जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लेखाधिकारी – सदस्य **3**– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य	105–विनियम 104 में निर्दिश्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को अर्हतानुसार सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमें आवेदक को विनियम 106 में दिये गये उपबन्धो के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगेः– **1**– जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष **2**– वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) – सदस्य **3**–वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय बालिका इण्टर कालेज – सदस्य परन्तु जहॉ मृत कर्मचारी के आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त सेवायोजन के लिए आवेदन करता है, वहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियम समय–सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा, और आवेदन करने के लिए नियत समय–सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के संबंध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों /सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
106–मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहाँ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था में शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्त न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहाँ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी।	106–मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहाँ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था में सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहाँ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी।
प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो, उस संस्था में जहॉ मृतक अपनी मृत्यु के समय सेवारत था, नियुक्ति किसी अधिसंख्य पद पर तुरन्त की जायेगी। ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और उसे तब तक जारी रखा जायेगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था में या जिले की किसी अन्य मान्यता, सहायता प्राप्त संथ्या में उपलब्ध न हो जाय और ऐसी स्थिति में अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गयी सेवा की गणना वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए की जायेगी।	प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो,. जनपदीय समिति द्वारा प्रकरण मण्डलीय समिति को सन्दर्भित किया जायेगा तथा मण्डलीय समिति द्वारा मण्डल में उपलब्ध रिक्ति के प्रति मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा। यह भी कि यदि मण्डल स्तर पर पद रिक्त न हो अथवा मृत कर्मचारी का आश्रित अन्य मण्डल में अपनी नियुक्ति चाहता है तो प्रकरण निदेशालय को सन्दर्भित किया जायेगा,जिस पर निदेशालय स्तर पर निम्नवत गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगाः– **1**– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) – अध्यक्ष **2**– संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) – सदस्य **3**– उप शिक्षा निदेशक (मा0–2/मा0–3) – सदस्य निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त सहमति की दशा में जनपदों से प्राप्त रिक्ति के सापेक्ष सेवायोजन हेतु रिक्ति से सम्बन्धित जनपदीय समिति को अधिकृत किया जायेगा।
107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा ।	107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा। समयान्तर्गत यदि निरीक्षक द्वारा युक्तयुक्त कारण न होने पर भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, तो निरीक्षक के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्राप्त होने की दशा में शिक्षा निदेशक द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 4–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 19, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई०

सं0 628-1/न0पा0प0मु0/2022-23—नगर पालिका परिषद् मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016'' के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है।

यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि (प्रारूप) की स्वीकृति नगर पालिका परिषद् मुरादनगर के बोर्ड के संकल्प प्रस्ताव संख्या 16 अन्य (1) दिनांक 07 जुलाई, 2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। नगर पालिका परिषद् मुरादनगर के बोर्ड के प्रस्ताव संख्या-16 अन्य (1) दिनांक 07 जुलाई, 2018 के आलोक्य में प्रस्तावित उपविधि का प्रकाशन नियमानुसार समाचार-पत्र (अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान) एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 35 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण करने के उपरान्त बोर्ड प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 01 जून, 2019 के द्वारा उपविधि को अन्तिम अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। निम्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत हैः—

1—''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ''—(1) इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद् मुरादनगर की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018'' कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी हेागीं।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2—'लागू होना''—यह उपविधि नगर पालिका परिषद् मुरादनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक

स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पालिका परिषद् मुरादनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में है पर लागू होगी।

3–इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् हैः–

परिभाषायें–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मेंः–

1–''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

2–''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/ डिकम्पोज हो सकता है।

3–''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

4–''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य'' बायो डिग्रेडिबल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

5–''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट'' से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यॉ आदि से है।

6–''बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य'' ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

7–''द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य'' घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भू-तल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

8–''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम् परिवहन करना पड़े।

9–''ब्रांड ओनर से तात्पर्य'' ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

10–''निपटान से तात्पर्य'' भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

11–''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् मुरादनगर जनपद गाजियाबाद से है।

12–''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलाग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरजंन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

13–''संग्रहण'' से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

14–''स्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर-घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है।

15–''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

16–''कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य'' ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

17–''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

18–''अपशिष्ट छँटाई केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

19–''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

20–''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य'' किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

21–''कूड़ा कचरा से तात्पर्य'' किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर, और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

22–''संग्रहण'' से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उसपर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

23–''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह'' स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि व सहकारी समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हों और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

24–''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

25–''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस के रूप में हो।

26–''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

27–''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

28–''स्वामी से तात्पर्य'' ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

29–''प्रस्संकरण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रस्संकरण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रस्संकरण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

30–''पुनर्चक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

31–''कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य'' नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

32–''प्रयोक्ता शुल्क'' से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

33–''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंश सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

34–''छंटाई'' करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

35–''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्शण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

36–''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

37–''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे। इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाशित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अर्न्तगत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिशेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् हैः–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक् शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान-बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्ड्स अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर पालिका परिषद् की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक् करना, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

प्रतिषेध

3. (1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा या फिंकवाने हेतु प्रेरित करेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो–

जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की,

(2) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की, खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की, (2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही, पशुओं, वाहनो बर्तनो या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही

अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नही करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

4. (1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण–

(क) द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट मे सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नही और उसे नगर पालिका परिषद् द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप मे घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट मे हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर मे डालेंगे।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहणः–

होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक क्रेंद्रो के अपशिष्ट का संग्रहण–

शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक

संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपिशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली 2016 के अनुसार आदेशित हों।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध मे लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक्-पृथक् किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक; नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेगें जो उत्पादक से पृथक्-पृथक् किये गये निर्माण और विध्वंस अपिशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भंडारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद् या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छंटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्सः—वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो में दी गई है)।

(9) उद्यान और बागबानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक—पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

5. (1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों मे पृथक करेगाः—

1—जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

2—जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

3—जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

4—घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण

6. (1)नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहॉ किसी प्रकार का अपदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड मे जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक्-पृथक् किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

7. अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था

8. नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छॅटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संगठनो या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सुविधा और सहायता उपलब्ध करना

9. अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यपारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनःप्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बिन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना

10. नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जायेगा जोकि अनुसूची-4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना

11. अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ों में डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

12. (1) जहॉ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा।

ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रर्दशन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोर्स्टिग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करें।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को; सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूशित न हो।

(9) घरेलु परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट

जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूशण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन

13. अधिशासी अधिकारी, या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूड़ा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढॅका रहेगा।

स्रोत पर ही एकत्रीकरण

14. भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ीयों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

15. अपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख-रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

अपशिष्ट छटाई केन्द्र

16. पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्र्टड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग'' एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा।

छॅटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूडा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग

17. नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

स्थानीय नागरिक समूह

18. स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल

अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

सफाई अभियान 19. उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहॉ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण 20. अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एव रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन 21. जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

शिकायतों का निस्तारण 22. नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

नागरिकों की सफाई टीम 23. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

रूचि की अभिव्यक्ति 24. किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो–मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

आकस्मिक निरीक्षण 25. अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व 26. (1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्वः–

क–अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉ जहॉ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

ख–जहॉ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ग–अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वः–

चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढॅकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक् भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेंरी वालों के दायित्वः–

प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक् रूप से पृथक् किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डाण कूड़ादान तक पहुचानें का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्वः–

घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुॅचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहॉ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्वः–

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्वः–

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना-प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबधित कार्यालय में जमा कराया

जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्यः–

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति

27. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लघंन के दुश्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

अपराधो का प्रशमन

28. इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोश में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थायें अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोशमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2017
प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	तीन वर्ष की अवधि में पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1.	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसीः–			
	1. अपशिष्ट फैलाना/फेकना।	200	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500
	2. थूकना।	100	,,	250
	3. मूत्र विर्सजन करना।	100	,,	250
	4. जनवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	500	,,	1,500
	5. वाहनों की धुलाई।	500	,,	1,500
	6. कपड़े धोना।	500	,,	1,500
	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना।	500	,,	1,500
2.	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	,,	5,000
3.	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500	,,	5,000
4.	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर ।	500	,,	1,000
5.	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवेरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने परः–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000	,,	5,000
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000	,,	10,000
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000	,,	20,000
6.	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500	,,	शून्य
7.	उपकरणों/ कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500	,,	शून्य
8.	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	500	,,	2,000
9.	कानून का उल्लघंन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1,000	,,	,,

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
10.	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहनाः–		प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500	,,	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	400	,,	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000	,,	शून्य
11.	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	5,000	,,	शून्य
12.	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000	,,	शून्य
13.	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपनाः–		,,	शून्य
	(क) व्यक्तिगत भवन	200	,,	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	500	,,	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000	,,	शून्य
	(ड.) औद्योगिक भू-खण्ड/यूनिट	5,000	,,	शून्य
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000	,,	शून्य
14.	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000 प्रतिमाह	10000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15.	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000	4,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16.	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000	10,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17.	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	————
18.	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	————
19.	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20.	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	500	————
21.	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छॅटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	1,000
22.	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	1,000	2,000	————
23.	खुले में शौच करने पर।	500	1,000	————
24.	पालतू जानवारों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/ पार्क में फेकना।	500	1,000	5,000

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	1,000	1,000
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	100	200	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	1,000	5,000
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1,000	2,000	————
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000	10,000	सफाई करने पर आने वाले वास्वतिक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरे स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2–अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा

ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।

अनुसूची–2
जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है।	समाचार-पत्र
मांस और हड्डियॉ	कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें
उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।	शीशा
पशुओं का कूड़ा करकट	धातु के पदार्थ और तार
गोबर	प्लास्टिक
सफाई के बाद घर की गंदगी	फटे कपड़े
नारियल के छिलके	चमड़ा
राख	रेक्सीन
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	रबर
	लकड़ी/फर्नीचर
	पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के।
	अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2–बेकार दवाइयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियॉ–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3–ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची–4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	30/– प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	80/– प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	100/– प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40/– प्रतिमाह
श्रेणी ड.	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30/– प्रतिमाह
अनावासीय/व्यवसायिक		
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	50/– प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100/– प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150/– प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें तक	150/– प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें तक	300/– प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	500/– प्रतिमाह
श्रेणी ड.	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थाऐं, प्राईवेट हॉस्टल	500/– प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल.आई.सी. कार्यालय, आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेण्ट	500/–प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैंकट हॉल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	2,000/– प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	500/– प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड तक)	500/– प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	1,000/– प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	200/– प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100/– प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100/– प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	150/– प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैस बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	2,000/– प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5/– प्रतिदिन
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	50/– प्रतिदिन
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1000 वर्ग फीट	1,000/– प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	2,000/– प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	5,000/– प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25/– प्रतिदिन प्रति स्टॉल
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	1,000/– प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	1,000/– प्रतिदिन
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालाऐं (केवल गैर खतरनाक/प्रदूशक) प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	500/– प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिंटिंग प्रेस	300/– प्रतिमाह
श्रेणी य	पैट्रोल पम्प	1,000/– प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा–भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो।	100/–प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो।	जो नगर पालिका मुरादनगर द्वारा निर्धारित किया जाए।

नोट :–

1. प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।
2. यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
3. विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका परिषद्, मुरादनगर से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
4. वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रुप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद्, मुरादनगर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत होगा।
6. प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् मुरादनगर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 आदित्य बिल्डर्स 4-डी बेली रोड नया कटरा प्रयागराज (उ0प्र0) के भागीदार श्री मनस्वी दास दिनांक 18 मई, 2022 को उक्त फर्म से स्वेच्छापूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गये हैं। श्री मनस्वी दास का उक्त फर्म से सम्बन्धित अब किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है तथा अब फर्म में श्री अमित सिंह व श्रीमती दीप्ती सिंह केवल दो भागीदार हैं। जिसका भागीदारी अनुपात क्रमशः 50-50 प्रतिशत है।

अमित सिंह।

सूचना

फर्म मे0 श्री द्वारिका इन्फ्राटेक 73, न्यू सरस्वती नगर बल्केश्वर आगरा पत्रावली संख्या एजी-12178 में दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को विष्णु कुमार गर्ग पुत्र श्री पन्नालाल गर्ग निवासी-37/337 नगला पदी दयाल बाग आगरा, एवं सुमित गर्ग पुत्र श्री राकेश गर्ग निवासी-ए-50 कर्मयोगी एन्क्लेव कमला नगर आगरा व श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल निवासी 307 खास बाजार जनकपुरी राम लीला ग्राउन्ड टूण्डला फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तद्दिनांक को श्री अंकित गोयल पुत्र श्री मुकेश चन्द गोयल निवासी-10ए कर्मयोगी एन्क्लेव कमला नगर आगरा व श्रीमती शिल्पी गर्ग पत्नी श्री सुमित गर्ग निवासी-ए-50 कर्मयोगी एन्क्लेव कमला नगर आगरा तथा श्रीमती माया पत्नी श्री दिनेश कुमार निवासी-12 हनुमान गली सरमथुरा धौलपुर, श्रीमती मीनाक्षी गोयल पत्नी श्री पंकज गोयल निवासी-ई-387 कमला नगर आगरा, श्री भवेश बंसल पुत्र श्री पवन कुमार बंसल निवासी-ई-14 निर्भय नगर खंदारी आगरा, श्रीमती मिथलेश गोयल पत्नी श्री मुकेश चन्द गोयल निवासी-10ए कर्मभूमि एन्क्लेव बल्केश्वर आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये। वर्तमान फर्म में भागीदार श्री राहुल गर्ग, श्री कपिल गर्ग, श्री अनिल कुमार गोयल, श्री अंकित गोयल, श्रीमती शिल्पी गर्ग, श्रीमती माया, श्रीमती मीनाक्षी गोयल, श्री भवेश बंसल, श्रीमती मिथलेश गोयल हैं।

राहुल गर्ग,
साझेदार,
मे0 श्री द्वारिका इन्फ्राटेक,
73, न्यू सरस्वती नगर बल्केश्वर,
आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 एच एल बी एसोसिएट्स, आव गंगा रोड, ओम नगर, मैनपुरी क्रॉसिंग, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद-283203 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि उक्त फर्म में दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को श्री शिवम बघेल पुत्र श्री होरी लाल बघेल निवासी-विभव नगर, फिरोजाबाद तथा श्री हिमांशू शर्मा पुत्र श्री सुनील शर्मा निवासी-1701 शम्भू नगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से पूर्व भागीदार श्री सोनू बघेल पुत्र श्री होरीलाल बघेल निवासी-विभव नगर, फिरोजाबाद उक्त फर्म की साझेदारी से अपनपी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री अभिषेक बघेल, श्री शिवम बघेल तथा श्री हिमांशू शर्मा भागीदार हो गये हैं।

अभिषेक बघेल,
भागीदार,
मे0 एच एल बी एसोसिएट्स,
आव गंगा रोड, ओम नगर, मैनपुरी,
क्रॉसिंग, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मे0 डी0डी0 एण्ड सन्स ग्लास वर्क्स वी-4 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जलेसर रोड फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी-8423 में दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को श्री देवेन्द्र दत्त पालीवाल पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र दत्त पालीवाल निवासी-ए-13 और ए-14 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट इण्टरनेशनल ग्लास वर्क्स फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को श्री दीनदयाल सिंघल पुत्र स्व0 भगवान दास सिंघल निवासी-41-42 सुभाष नगर कमला नगर आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार भूपेन्द्र दत्त पालीवाल, शैलेन्द्र दत्त पालीवाल, दीनदयाल सिंघल हैं।

भूपेन्द्र दत्त पालीवाल,
साझेदार,
मे0 डी0डी0 एण्ड सन्स ग्लास वर्क्स,
वी-4 यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रूबी सिंह पत्नी राजीव कुमार सिंह, निखिल सिंह, आर्यन सिंह व आयुष सिंह पुत्रगण राजीव कुमार सिंह निवासी एन-14/49ए-I कृष्णदेव नगर, सरायनन्दन जिला वाराणसी मेसर्स एसआरजी इन्ट्राटेक एन 14/49ए-I कृष्णदेव नगर सराय नन्दन जिला वाराणसी, उ0प्र0 221010 के साझेदार हैं जिसका पंजीकरण सं0 वीएआर/0010364 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 संख्या 01437/2021-2022 है। वर्तमान में हम समस्त साझेदारों रूबी सिंह पत्नी राजीव कुमार सिंह, निखिल सिंह, आर्यन सिंह व आयुष सिंह पुत्रगण राजीव कुमार सिंह द्वारा फर्म का नाम दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से परिवर्तित कर दिया गया है जो मे0 एसजीआर इन्ट्राटेक एन 14/49 ए-I कृष्णदेव नगर सराय नन्दन, जिला वाराणसी, उ0प्र0–221010 के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

रूबी सिंह।

सूचना

मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम चन्द्रिका प्रसाद एवं कुछ अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद पाल अंकित है। चन्द्रिका प्रसाद एवं चन्द्रिका प्रसाद पाल एक व्यक्ति अर्थात मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे चन्द्रिका प्रसाद पुत्र बाबूलाल निवासी-251/205, सुलेम सराय, प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना जाय।

चन्द्रिका प्रसाद,
पुत्र स्व0 बाबूलाल,
नि0 251/205 सुलेम सराय,
तहसील सदर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 अमित गैस एजेन्सी, 118/241, कौशलपुरी, कानपुर की भागीदार श्रीमती आशा पाण्डेय दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को स्वेच्छापूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए फर्म से अलग हो गयी हैं तथा श्री अतुल त्रिपाठी दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को उक्त फर्म में बतौर साझीदार शामिल हो गये हैं। अब फर्म में दो भागीदार हैं जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः प्रथम साझीदार अमित पाण्डेय 51 प्रतिशत तथा द्वितीय भागीदार श्री अतुल त्रिपाठी 49 प्रतिशत का होगा। फर्म से पृथक हुई भागीदार आशा पाण्डेय का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

अमित पाण्डेय,
भागीदार।

सूचना

फर्म मे0 ओके ग्लास इण्डस्ट्रीज 65 जिजौली मक्खनपुर, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी-9193 में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती बीबी रानी बंसल पत्नी श्री ओंकारनाथ बंसल निवासी-ए-2ए-3 ओरचिड ग्रीन राजा का ताल फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी में अपनी स्वेच्छा से पृथक हुई। वर्तमान फर्म में भागीदार मनीष बंसल, आशीष बंसल, नितिन बंसल हैं।

मनीष बंसल,
साझेदार,
मे0 ओके ग्लास इण्डस्ट्रीज,
65 जिलौली मक्खनपुर, फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मे0 फुट फैशन ओवरसीज, इन्फ्रन्ट ऑफ गली नं0 5,6सी/5/5/1, आजाद नगर टी0पी0 नगर, आगरा पत्रावली संख्या एजी-9898 में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल निवासी-ए-301 अपर्णा पंचशील अपार्टमेन्ट से-16बी सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये। वर्तमान फर्म में भागीदार श्री रूचिर बंसल, श्री विशाल अग्रवाल, श्री गौरव बंसल, श्री अंकित अग्रवाल हैं।

रूचिर बंसल,
साझेदार,
मे0 फुट फैशन ओवरसीज,
इन्फ्रन्ट ऑफ गली नं0 5,6सी/5/5/1,
आजाद नगर टी0पी0 नगर, आगरा।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स हरबोचेम ग्लोबल, बी-9, केमिकल काम्प्लेक्स, सोमानियानगर, जिला बाराबंकी की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत अयोध्या मण्डल से पंजीकृत है जिसमें अभी तक तीन हरी प्रसाद गुप्ता, आशीष गुप्ता एवं श्री अखिलेश कुमार गुप्ता साझेदार थे। दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 से तीनों साझेदार अपनी-अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल रहे हैं तथा फर्म समाप्त करना चाहते हैं।

साझेदार,
मेसर्स-हरबोचेम ग्लोबल,
बी-9, केमिकल काम्प्लेक्स, सोमानिया नगर,
जिला–बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम MOHAMMAD ASIF ZAIDI है। मेरे हाईस्कूल के सहअंक-पत्र व प्रमाण-पत्र में Mohd Arif Zaidi अंकित हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता का ही है। भविष्य में मेरे पिता को उनके सही नाम MOHAMMAD ASIF ZAIDI के नाम से जाना व पहचाना जाय। पता-मो0 अब्बास जैदी, पिता-मोहम्मद आसिफ जैदी, राजकीय महिला पालीटेक्निक कैम्पास, सुन्दरपुर वाराणसी।

मो0 अब्बास जैदी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गौरी फूड्स, गेट नं0-63 एट विलेज बिछौला चन्दौसी रोड, तह0 व जिला सम्भल (यू0पी0) जिसकी पंजीकरण सं0 MBD4551 है। उक्त फर्म के पंजीकरण के समय फर्म में तीन पार्टनर श्री अनिल कुमार, श्रीमती मीना अग्रवाल एवं श्रीमती प्रिया अग्रवाल थे। दिनांक 01 जुलाई, 2020 को फर्म में श्री विकास अग्रवाल शामिल हो गये हैं। इस प्रकार फर्म में अब चार पार्टनर श्री अनिल कुमार, श्रीमती मीना अग्रवाल, श्रीमती प्रिया अग्रवाल एवं विकास अग्रवाल हैं। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है।

अनिल कुमार,
मेसर्स गौरी फूड्स,
गेट नं0-63 एट विलेज बिछौला,
चन्दौसी रोड,
तह0 व जिला-सम्भल, (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स करीम राइस इण्डस्ट्रीज पता–ग्राम दमखोदा जहॉनाबाद रोड रिछा बरेली 243201 जिसकी पंजीकरण संख्या/BAR0008532 है। यह उपरोक्त फर्म दिनांक 30 नवम्बर, 2020 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, फर्म में दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 को श्रीमती नाजिमा बानो पत्नी श्री मो0 इल्यास निवासिनी वार्ड नं0-09 मोहल्ला मस्तान शहर एण्ड पोस्ट रिछा, तहसील-बहेड़ी बरेली उपरोक्त फर्म से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं तथा श्रीमती नाजिमा बानों का फर्म पर व फर्म का श्रीमती नाजिमा बानों पर कोई शेष बकाया नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल 4 साझेदार क्रमशः श्री रोहित हुसैन, श्रीमती फिरोज बेगम, श्री रिजवान अहमद व अब्दुल माजिद निवासीगण ग्राम–दमखोदा जहॉनाबाद रोड रिछा बरेली 243201 के हैं।

रोहित हुसैन,
साझेदार,
करीम राइस इण्डस्ट्रीज,
पता–ग्राम दमखोदा जहॉनाबाद
रोड रिछा, बरेली 243201।

NOTICE

I, OLIVE HEMRAJ, spouse of IC-20224, MAJOR NARESH HEMRAJ (LATE) Resident of 5, Lala Ram Narain Lal Road (Bank Road), Next to Garvita Hospital, Prayagraj, UP-211002 have changed my Name from OLIVE HEMRAJ to OLIVE NORMA HEMRAJ *vide* Affidavit Dated December 03, 2022 before District Courts, Prayagraj.

Smt. Olive Hemraj.

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।